का॰ज्ञा॰सं॰ 14012/7/87-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 28.1.1988

विषय : केंद्रीय सरकार के कार्यालयों उपक्रमों बैंकों आदि में आशुलिपिक पदों पर हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों का अनुपात।

राजभाषा विभाग के 20 अगस्त, 1987 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में ये निदेश दिए गए थे कि ''क'' क्षेत्र में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों में आशुलिपिकों के कुल पदों में से कम से कम 25 प्रतिशत पदों पर हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए और ''क'' क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिक के कुल पदों मे कम से कम 50 प्रतिशत हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए। ''ख'' क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों के सचिवालयों व संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिक के पदों पर कम से कम 25 प्रतिशत हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए।

2. इस बात पर इस विभाग में विचार हो रहा था कि ''ग'' क्षेत्र के स्थित मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी या बैंक आदि के कार्यालयों में आशुलिपिक के पद पर हिंदी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिक किस अनुपात में होने चाहिए। ''ग'' क्षेत्र में हिंदी में अपेक्षित कार्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ''ग'' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी या बैंक आदि के कार्यालय में आशुलिपिक के कम से कम 10 प्रतिशत पदों पर हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिक होने चाहिए। जिन कार्यालयों में 10 से कम आशुलिपिक हैं, वहां भी कम से कम एक आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित होना चाहिए। यह लक्ष्य हिंदी आशुलिपि के माध्यम से परीक्षा देकर चुने गए उम्मीदवारों की भर्ती और अंग्रेजी आशुलिपि के माध्यम से भर्ती हुए आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देकर 31 मार्च, 1990 तक प्राप्त किया जाए।

3. अभी यह न्यूनतम अनुपात ''ग'' क्षेत्र के केवल उन नगरों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में लागू होगा, जहां राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इस समय जिन नगरों में ऐसे केंद्र चल रहे हैं, वे हैं:-

पूर्णकालिक केंद्र	:	श्रीनगर, मद्रास, हैदराबाद, कोचीन, कोयम्बटूर, विशाखापटनम, कलकत्ता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी तथा बैंगलूर।
अंशकालिक केंद्र	:	त्रिवेन्द्रम, गंगतोक, शिलांग तथा इम्फाल।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित अनुपात हिंदी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों के विभिन्न कार्यालयों के लिए न्यूनतम अनुपात है, जिन्हे 31 मार्च,1990 तक पूरा करना है। यदि किसी कार्यालय में इनसे ज्यादा हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों की आवश्यकता हो, तो उस अनुपात से ज्यादा भी हिंदी आशुलिपि जानने वाले उम्मीदवारों को सीधी भर्ती द्वारा लिया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित अनुपातों के पूरा हो जाने के बाद भी अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता रहना चाहिए, जब तक सभी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते।

5. सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि ''ग'' क्षेत्र में पैरा 3 में दिए नगरों में स्थित अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन कम्पनियों, बैंकों आदि को आवश्यक निदेश देने की कृपा करें, जिससे कि इन कार्यालयों में पैरा 2 में निर्धारित अनुपात 31 मार्च, 1990 तक पूरा किया जा सके।